# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
# उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 99/2023
दायरा दिनांकः—20.10.2023
निर्णय दिनांकः— 30.9.24

## उनवान

मेघराज आयु 45 वर्ष पुत्र हरनारायण जाति मीना निवासी ग्राम कोटडी तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 30.9.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री सोमेश कुमार गालव — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर.टी. ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल गूगोर पटवार मण्डल गूगोर तहसील छबड़ा मे वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 341 की खसरा नम्बर 118 रकबा 3.5663 हैक्टयर भूमि वादी के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चली आ रही है। जिस पर वादी बिना किसी बांधा व्यवधान के काश्त करता चला आ रहा है। मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वादी के पूर्वजो के समय से स्वामित्व एंव आधिपत्य मे चली आ रही है। जिस पर बिना किसी बांधा, व्यवधान के काश्त करते चले आ रहे है एव परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पर जमाबंदी मे वादी के नाम के साथ माफियात रिज्युमशन दर्ज है जिस कारण वादी को वर्तमान मे उक्त आराजी पर बैंक से के.सी.सी. ऋण, लोन, रहन, बेचान, नामान्तकरण करने में परेशानी आ रही है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वादी के पूर्वजो समय से नकल जमाबंदी में नाम दर्ज चला आ रहा है। एवं स्वामित्व एंव आधिपत्य मे चली आ रही है। जिस पर माफियात रिज्यूमशन लिखा हुआ आ रहा है जिसे वादी खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है। मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के लेण्ड होल्डर प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा होने से वाद पत्र मे पक्षकार बनाये गये है जिन्हे धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु वादी की आराजी पर माफियात रिज्यूमशन दर्ज होने से के.सी.सी. रहन, बेचान, नामान्तरण नहीं होने के कारण वाद आवश्यक प्रवृति का होने से नोटिस दिये बिना ही धारा 80 (2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पर वादी दिनांक 16/10/2023 को बैंक ऋण, के.सी.सी. लेने हेतु पटवारी जी के पास नकले लेने गया तब वादी को पटवारी जी ने बताया कि उक्त आराजी पर माफियात रिज्यूमशन लिखा हुआ है जिसकी वहज से बैंक वाले के.सी.सी. देने से मना कर रहे है एंव नामान्तरण भी दर्ज नहीं कर रहे है इसके बाद वादी ने प्रतिवादी श्रीमान तहसीलदार साहब से निवेदन किया लेकिन वहां से भी कोई समाधान नही हुआ लिहाजा यही तिथी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विनाय मुखासमत करार दी जाती है। मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वाके माल गूगोर में होने से वाद पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार सम्मानीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फमाया जाकर विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिकी किया जावे कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वाके माल गूगोर तहसील छबडा जिलाबारां (राज०) मे खाता संख्या 341 की खसरा नम्बर 118 रकबा 3. 5663 हैक्टयर भूमि पर वादी के नाम के साथ माफियात रिज्यूमशन को हटाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि राजस्व रिकार्ड मे अन्य न्यायोचित सहायता जो मुकीद वादी को फरमाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 341 नकल जमाबन्दी गुगौर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 336 सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 323 सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 297 सम्वत् 2059–62 खाता संख्या 287 सम्वत् 2055–58 खाता संख्या 265 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 खाता संख्या 290 सम्वत् 2047–50 खाता संख्या 238 सम्वत् 2043–46 खाता संख्या 217 सम्वत् 2038–41 खाता संख्या 209 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2034–37 खाता संख्या 219 नकल जमाबन्दी ग्राम गुगौर सम्वत् 2030–33 खाता 219 सम्वत् 2026–29 खाता 181 सम्वत् 2018–21 सम्वत् 2014–17 खाता 121 नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 120 पेश की गई। साक्ष्य वादी में मेघराज का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा में स्थित है। जो वादी के नाम दज्र चली आ रही है उक्त आराजी वादी के पूर्वजों के समय के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त वर्णित आराजी पर जमाबन्दी में वादी के नाम के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज है जिससे वादी को उक्त आराजी पर बैंक से के.सी.सी. ऋण लोन रहन बेचान नामान्तरण करने में परेशानी आ रही है। उक्त वर्णित आराजी वादी के पूर्वजों के समय से जमाबन्दी में नाम दर्ज चला आ रहा है खातें में रिज्यूमशन दर्ज होने के कारण वादी को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अर्थात् पहले जमाबन्दी में रिज्यूमशन दर्ज नही था। बाद में दर्ज हो गया वादी अभिभाषक ने जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 का उद्धरण करते हुए निवेदन किया की प्रार्थी विधिक खातेदार कृषक है। वादी के खाते से रिज्यूमशन हटाया जाना अति आवश्यक है वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 341 में मेघराज पुत्र हरनारायण जाति मीना सा0देह कोटडी माफियात रिज्यूमशन दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 336 सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 323 सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 297 सम्वत् 2059–62 खाता संख्या 287 सम्वत् 2055–58 खाता संख्या 265 में माफी रिज्यूम हरनारायण, कन्हैयालाल पुत्र हरफुल दर्ज रजि0 है नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2051–54 खाता संख्या 260 हरनारायण, कन्हैयालाल पुत्र हरफुल जाति मीना सा0देह कोटडी दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 2047–50 सम्वत् 2043–46, 2038–41, 2034–37, 2030–2033, सम्वत् 2036–29 में हरफुल पुत्र गंगाविशन जाति मीना सा0देह कोटडी दर्ज रिकार्ड है इससे यह सावित होता है कि विवादित आराजी पूर्व में पिता हरफुल के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खातेदारी मे दर्ज थी। परन्तु खाते में रिज्यूम दर्ज नही था। जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 में रिज्यूम शब्द दर्ज कर दिया इससे पहले खाते में रिज्यूम दर्ज नही था। प्रार्थी/वादी के खाते मे रिज्यूम दर्ज होने से वादी को लोन लेने में बिजली कनेक्शन कराने में व अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादी के खातेदारी की भूमि में सम्वत 2026–29 से सम्वत् 2047–50 तक जमाबन्दी में रिज्यूम दर्ज नही था। सम्वत 2055–58 की जमाबन्दी में रिज्यूमशन दिया गया जो खाते से हटाया जाना आवश्यक है तहसीलदार छबडा से इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान मे खसरा नम्बर 118 रकबा 3.5663 है0 भूमि मेघराज पुत्र हरनारायण जाति मीना माफी रिज्यूमशन दर्ज रिकार्ड है भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त वादी ही करता चला आ रहा है। इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एव आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :–

**जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :–** "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

**आ0टी0एक्ट की धारा–15 :–** प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादी पूर्व में खातेदार था तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**:: क्रियात्मक आदेश ::**

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 118 रकबा 3.5663 है0 भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

## डिक्री

| | | |
|---|---|---|
| संख्या 99 / 2023 | धारा 88,89,90,188 आर टी एक्ट | निर्णय दिनांक– 30.9.24 |

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

| | |
|---|---|
| उपस्थिति अभिभाषकवादी–श्री सोमेश कुमार गालव–वादी | अभिभाषक प्रतिवादी–श्री |

वाद शीर्षक

उनवान

मेघराज आयु 45 वर्ष पुत्र हरनारायण जाति मीना निवासी ग्राम कोटडी तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबडा जिला बारा (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 118 रकबा 3.5663 है0 भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिए जाते है।

साथ ही नियमानुसार ........................ रू0 का व्ययानुतोष ............ द्वारा ........ को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.9.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

(मुहर: अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज.))

| | | व्ययानुतोष | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | व्यय मद | वादी | प्रतिवादी |
| 1. | वादपत्र / लिखित कथन | | |
| 2. | अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 3. | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 4. | प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 5. | पारिश्रमिकअभिभाषक | | |
| 6. | व्यय साक्षी | | |
| 7. | फीसकमिश्नर | | |
| 8. | अन्य / क्षतिपूर्ति | | |
| 9. | ब्याज ( :) | | |
| 10. | योग | | |